न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

मुकदमा संख्या- 928/ 2020

सरकार **बनाम** **विपिन कुमार।**

धारा- 354, 504 भा०दं०सं०

थाना- गरौठा, जिला- झांसी।

मु. अ. सं. - 146/ 2019

मै, **सुनील शेखर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **विपिन कुमार** को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूं:-

1- यह कि दिनांक 07. 10. 2019 को समय 19. 30 बजे व स्थान प्राईमरी स्कूल के पास गली में, ग्राम पसौरा थाना गरौठा जिला झांसी में आपने वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी की। इस प्रकार आपने भा. द. सं. की धारा- **354** के तहत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को बुरी बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया। आपका यह कृत्य धारा- **504** भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 07. 09. 2021

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक- 07. 09. 2021

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

अवधेश प्रताप सिंह
आशुलिपिक